भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS

सीमा शुल्क गृह, विलिंग्डन आईलैंड, कोचिन

CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Website: www.cochincustoms.gov.in

Control Room: 0484-2666422 Fax: 0484-2668468

E-mail: cochincustoms@nic.in

दिनांक Date: 08.06.202

F.No.:CUS/APR/MISC/3595/2021-A/GR

व्यापार सुविधा संख्या TRADE FACILITY NO. 01 /2022

विषयः आईसीटीटी, वल्लारपाडम पोर्ट से सीएफएस तक आयात कंटेनरों की आवाजाही के लिए सरलीकृत प्रक्रिया - के संबंध में।

Sub.: Simplified Procedure for Movement of Import Containers from ICTT, Vallarpadom Port to CFSs- reg.

आयातकों, निर्यातकों, सीमा शुल्क ब्रोकरों, स्टीमर/ शिपिंग एजेंटों, पोर्ट/टर्मिनल ऑपरेटरों तथा सी एफ एस ऑपरेटरों का ध्यान ऊपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय से जारी व्यापार सुविधा संख्या 04/2011 दिनांक 10.02.2011 एवं 20/2013 दिनांक 31.05.2013 की ओर आकर्षित किया जाता है।

Kind attention of the Importers, Exporters, Customs Brokers, Steamers/Shipping Agents, Port/Terminal Operators and CFS Operators is invited to the Trade Facility Nos. 04/2011 dated 10.02.2011 and 20/2013 dated 31.05.2013 issued by this Office on the above subject.

2. व्यापार सुविधा के अनुसार, सभी शिपिंग लाइनों/स्टीमर एजेंटों को प्रत्येक लाइन के सामने आईजीएम में अनिवार्य रूप से वांछित सीएफएस के नाम/कोड को इंगित करना होगा और आयातित कार्गों की निकासी के लिए आयातकों/सीएचए द्वारा सूचना देनी होगी। इस प्रयोजन के लिए, आयातकों/सीएचए को सलाह दी जाती है कि वे शिपिंग लाइन्स/स्टीमर एजेंटों को उनके गंतव्य सीएफएस के विकल्प के बारे में आईसीटीटी , वल्लारपाडम में पोत (प्रवेश की ओर) के आगमन से कम से कम 72 घंटे पहले सूचित करें। जहाँ गंतव्य सीएफएस के बारे में सूचना पोत के आगमन के 72 घंटे से पहले आयातकों/सीएचए से प्राप्त नहीं होती है (प्रवेश की ओर) , वहाँ शिपिंग लाइन/स्टीमर एजेंट आईजीएम की फाइलिंग के समय कोचीन पोर्ट को गंतव्य के रूप में घोषित कर सकते हैं। यदि ऐसी कोई घोषणा नहीं की जाती है , तो मैसर्स आईजीटीपीएल ऐसे कंटेनरों को सीमा शुल्क के अनुमोदन से और संबंधित शिपिंग लाइन्स/स्टीमर एजेंटों को सूचित करते हुए कोचीन पोर्ट पर ले जाएगा। आईजीएम में सीएफएस का संकेत व्यापार सुविधा द्वारा इवेल टाइम को कम करने के लिए एक उपाय है और सीएफएस का विकल्प आयातकों/सीमा शुल्क ब्रोकरों के पास होता है।

As per the Trade Facility, all Shipping Lines/Steamer Agents will be required to compulsorily indicate in the IGM against each line, the name/code of the CFS opted for and intimated by the importers/CHAs for clearance of their imported cargo. For this purpose, the importers/CHAs are advised to intimate the Shipping Lines/Steamer Agents about their option of the destination CFS, at least 72 hours prior to the arrival of the vessel (Entry Inwards) in ICTT, Vallarpadom. Where intimation regarding the destination CFS is not received from the Importers/CHAs, prior to 72 hours of the arrival of the vessel (Entry Inwards), the Shipping Lines / Steamer Agents may declare Cochin Port as destination at the time of the filing of IGM. In case, such a declaration is not

made, M/s. IGTPL will move such containers to Cochin Port, with the approval of Customs and under intimation to the Shipping Lines/Steamer Agents concerned. The indication of CFS in the IGM is a trade facility measures to reduce the dwell time and the choice of the CFS lies with Importer/Customs Brokers.

3. हाल के दिनों में इस कार्यालय में सीमा शुल्क ब्रोकरों / आयातकों से कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि शिपिंग लाइनर्स सीमा शुल्क ब्रोकरों / आयातकों को उनकी पसंद के सीएफएस प्रविष्ट नहीं कर रहे हैं और साथ ही शिपिंग लाइनर्स आयातक की पसंद के सीएफएस में प्रविष्ट करने के लिए विभिन्न दस्तावेजों जैसे बीएल की मूल प्रति आदि मांग रहे हैं।

In the recent time many complaints has been received in this office from Customs Brokers/Importer that Shipping liners are, not entering the CFS of choice of the Customs Brokers/Importer and also Shipping liners are asking various documents like original copy of BL etc. for entering the CFS of choice of the importer.

4. शिपिंग लाइनर्स के ध्यान में लाया जाता है कि गंतव्य सीएफएस आयातक की पसंद है और आईजीएम में आयातक की पसंद के खिलाफ किसी भी प्रविष्टि को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 30 का उल्लंघन माना जाएगा।

It is brought to the notice of the Shipping liners that destination CFS is the choice of the importer and any entry against the choice of the importer in the IGM will be treated as a violation of Section 30 of the Customs Act, 1962.

5. इस संबंध में अनुभव की जाने वाली किसी भी कठिनाई को तत्काल अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाया जाएं।

Any difficulties experienced in this regard may be brought to the notice of undersigned immediately.

4. 235

(मोहम्मद यूसफ़. MOHD. YOUSAF) आयुक्त COMMISSIONER

प्रतिलिपि Copy to:

- 1. आयुक्त की फाईल Commissioner's File
- 2. कोचिन सीमाशुल्क ब्रोकर असोसिएशन, कोचिन The Cochin Customs Brokers Association, Cochin.
- 3. वेबसाईट Website

प्रतिलिपि प्रेषितCopy Submitted to:

मुख्य आयुक्त केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs